C/140

श्री कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 03.09.2011 को सम्पन्न खनन टास्क फोर्स बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1.	श्री कुलदीप नारायण	:-	जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2.	श्री पी0 कन्नन	:-	पुलिस अधीक्षक, मुंगेर।
3.	श्री ए0 के0 पंचालर	:-	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मुख्यालय मुंगेर।
4.	श्री रंजन कुमार	:-	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जमालपुर।
5.	श्री आर0 के0 सिंह	:-	प्रारुपक, जिला खनन कार्यालय, मुंगेर।

कार्यवली सं0 01 :-

बैठक में उपस्थित खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, मुंगेर द्वारा बताया गया कि जिले में आज की तिथि में 09 पट्टे लघु खनिज एवं 03 पट्टे वृहत् खनिज के चल रहे हैं जो परिशिष्ट-1 पर अंकित है।

कार्यवली सं0 02 :-

खान निरीक्षक, मुंगेर को निदेश दिया गया कि अविलम्ब निरीक्षण कर यह प्रतिवेदन समर्पित करें कि सभी खनन पट्टों का सीमांकन हुआ है अथवा नहीं, परिवहन चालान सही ढंग से उत्खनन स्थल पर दिया जा रहा है अथवा नहीं, अवैध विस्फोटक का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्तो का पूर्णतः पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। यदि निरीक्षण के क्रम में कोई कर्मी पायी जाती है तो इसका सुधार करने की अंतिम चेतावनी दी जाय इस तथ्य से अवगत कराया जाय कि अनुज्ञप्ति की शर्त्तो का पालन नहीं किये जाने पर उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द किया जा सकता है।

निदेश दिया जाता है कि यदि किसी चालान में वाहन का नं0, समय एवं मात्रा में गलती पायी जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी की गलती मानते हुए उसके अनुज्ञप्ति को रद्द किया जायेगा।

कार्यवली सं0 03 :-

अप्रैल, मई 2002 में जमालपुर यार्ड के निकट एक बड़ी मात्रा में वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा अवैध सामान जब्त किया गया था। समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि पिछले 10 वर्षो में कुल जब्त माल के अधिकतम 10 प्रतिशत पर किसी ने claim किया है एवं शेष पर किसी व्यक्ति द्वारा claim नहीं किया गया है तथा unclaimed पत्थरों की नीलामी नहीं हुई है। पूर्व में वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल, मुंगेर/अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/जिला खनिज विकास पदाधिकारी, मुंगेर की टीम गठित कर जांच करने का आदेश दिया गया था।

पूर्व में गठित वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल, मुंगेर/अपर समाहर्त्ता, मुंगेर एवं जिला खनिज विकास पदाधिकारी की टीम को यह कार्य करना है कि जिन पत्थरों पर कोई विवाद नहीं है और जिसका अपील/रिवीजन नहीं चल रहा है और जिसपर कोई आपत्ति नहीं है तो उसका verification करने के उपरान्त गणना कर समाचार पत्रों में नीलामी की सूचना प्रकाशित कराने की कार्रवाई करेंगे। साथ ही यदि कुछ पत्थर को रिवीजन/अपील में मुक्त किया गया हो तथा अब वाद लंबित नहीं है, उसे 15 दिनों के अन्दर वहाँ से हटाने का आदेश देंगे।

कार्यवली सं0 04 :-

बैठक में खान निरीक्षक ने अवगत कराया कि रामपुरकला एवं उसके आस-पास के मौजों में 14 क्रशरधारियों की अनुज्ञप्ति जून माह में रद्द की जा चुकी हैं एवं उसके कैम्पस को सील भी किया जा चुका है। मात्र दो-तीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा खान आयुक्त के न्यायालय में अपील दायर किया गया है जिसमें एक अपील के निरस्त होने की सूचना कार्यालय को प्राप्त हुई है। इस परिपेक्ष्य में जिला खनिज विकास पदाधिकारी एवं खान निरीक्षक को निदेश दिया गया कि अद्यतन स्थिति के साथ अगली बैठक के पूर्व एक सुस्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित करें कि किन मामलों में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपील दायर की गयी है एवं किसमें अपील दायर नहीं की गयी है। यह ध्यान रखा जाय कि जिन मामलों में अपील दायर है एवं यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश प्राप्त है, उन मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में जब्त सामानों के अधिग्रहण की कार्रवाई किसी भी परिस्थिति में नवम्बर माह के अन्त तक अवश्य पूरी कर ली जाय।

यह विदित है कि जिन 14 क्रशरधारियों की अनुज्ञप्ति रद्द की गयी हैं उन सभी पर पूर्व से ही नीलाम पत्र वाद दायर है एवं बकाये राशि की वसूली की कार्रवाई अपेक्षित है। अतएव निर्णय लिया गया कि अधोस्ताक्षरी के स्तर से संबंधित नीलाम पत्र पदाधिकारी को यह अनुरोध किया जाय कि सील किये गये क्रशर एवं जब्त पत्थरों को बेचकर पहले बकाये राशि की वसूली की कार्रवाई की जाय एवं उसकी प्राप्ति पूर्ण नहीं होने पर संबंधित क्रशर मालिकों के विरूद्ध Body Warrant एवं Distress Warrant निर्गत किया जाय।

कार्यवली सं0 05 :-

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, तारापुर द्वारा बताया गया कि एक हत्याकांड की घटना के उपरान्त बालूघाट के रास्ते को बंद कर दिया गया है जिसके कारण यातायात में काफी परेशानी हो रही है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, तारापुर एवं जिला खनिज विकास पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि उक्त विषय की जांच कर जांच प्रतिवेदन कार्यालय को उपलबध कराते हुए बंद रास्ते पर लगी रोक हटाने की दिशा में यथाशीघ्र कार्रवाई करें।

कार्यवली सं0 06 :-

खान निरीक्षक, मुंगेर को निदेश दिया गया कि मेसर्स शांति देवी, मौजा शीतलपुर, मेसर्स खालसा स्टोन वर्क्स, मिर्जापुर बरदह एवं मेसर्स सनराईज स्टोन वर्क्स, मौजा-सलेमपुर से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराये कि उक्त तीनों अनुज्ञप्तिधारियों के माहवार चालान की सं0 वर्ष 2011 में कितनी है।

लघु खनिज पट्टा का नवीकरण :-

खान निरीक्षक द्वारा बताया गया कि एक खजिन पट्टा 2013 में एवं शेष सभी लघु खनिज पट्टे वर्ष 2012 में expire हो जाएंगे एवं राज्य सरकारी की नयी नीति के तहत् अब उन खजिन पट्टों को नवीकरण नहीं किया जा सकता है। इसी बीच वर्ष 2011 में मेसर्स कीर्ति एंड कम्पनी, मौजा-सिकन्दरपुर के 02 एकड़ के रकवा वाला खनिज पट्टा को रद्द कर

दिया गया है एवं मेसर्स सुजीत कुमार के 03 एकड़ रकवा वाले खनिज पट्टे को समाप्त किया जा चुका है। (139)

खान निरीक्षक को इस आशय की सूची तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का निदेश दिया गया कि जिन लघु खनिज पट्टों, विशेषकर पीर पहाड़ क्षेत्रान्तर्गत जिन खनन पट्टाधारी की अनुज्ञप्ति समाप्त की जा चुकी है एवं उनके द्वारा खनन के उपरान्त यत्र-तत्र स्थानों पर गडढा कर छोड़ दिया गया है। तदोपरान्त ऐसे स्थानों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल, मुंगेर की सहायता से वृक्षारोपण कर उन स्थानों को पर्यावरण के दृष्टिकोण से रमणिक बनाया जा सके।

अन्त में सधन्यवाद पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

30/06/09/11

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 2262/गो0, दिनांक 06/09/2011

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, मुंगेर/वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर/अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/ अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/तारापुर/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मुख्यालय, मुंगेर/तारापुर प्रारूपक, जिला खनन कार्यालय, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/06/09/11

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 2262/गो0, दिनांक 06/09/2011

प्रतिलिपि :- आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

30/06/09/11

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 2262/गो0, दिनांक 06/09/2011

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

30/06/09/11

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।